# IN THE COURT OF BOARD OF REVENUE
# MADHYA PRADESH

(123)

Review Petition No. ...../2016

Arising out of the Revision No. 3380 one/2015 order passed in 05.02.2016 by Member Shri M.K. Singh

**R.P. Kanojiya (Advocate)**
S/o Shri M.L. Kanoiya
R/o 117, Old P.P. Colony,
Jabalpur (M.P.)

**Versus**

1. **State of Madhya Pradesh**
Through Principal Secretary Revenue
Vallabh Bhavan, Bhopal (M.P.)

2. **Gyan Ahuja**
S/o Shri Prem Dutt Ahuja
R/o Om Bhavan, Wright Town,
Jabalpur (M.P.)

3. **Bhushan Ahuja**
S/o Shri Prem Dutt Ahuja
1-B, Giriraj-11, Alta Mount Road,
Mumbai (MH)

4. **Om Prakash Ahuja**
S/o Shri Prem Dutt Ahuja
R/o Bhagadganj, Near Harihar Mandir,
Nagpur (MH)

## APPLICATION FOR REVIEW OF ORDER DTD. 05.02.2016 U/s 51 OF THE M.P. LAND REVENUE CODE 1959

The Applicant above named beg to submit as under:-

1. That, the Hon'ble Board had on 05.02.2016 passed an order reversing the order passed by the Addl. Commissioner, Jabalpur on a sou-motu Reivision.

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण कमांक – रिव्यू 1117–एक/16 जिला – जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेष | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28–4–16 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 3380–एक/15 में पारित आदेश दिनांक 5–2–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।<br>2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–<br>1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी.<br>2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती.<br>3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।<br>आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों ।<br>सदस्य | |